छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़

शंकर नगर, रायपुर

<u>*अपील प्रकरण कमांक 117/2008*</u>

1. **श्री एच0एस0 तिवारी,** – *अपीलार्थी*
के0डी0 पब्लिक स्कूल के पास,
मीनाक्षी नगर, बोरसी रोड़
दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* – *प्रति अपीलार्थी*
छ0ग0 शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 31 मार्च, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री एच0एस0 तिवारी ने दिनांक 12.09.2007 को प्रति अपीलार्थी जन सूचना अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के समक्ष जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर भ्रामक जानकारी उपलब्ध कराने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 25.10.2007 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, उक्त अपील पर दिनांक 22.11.2007 को निरस्त करने का आदेश पारित किया गया, जिससे असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष दिनांक 26.12.2007 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ उभय पक्ष की सुनवाई की गई और दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्को का अवलोकन किया गया । प्रकरण में प्रति अपीलार्थी का कहना है कि उनके यहॅां जिस रूप में जानकारी धारित की जाती है, उस रूप में उपलब्ध करा दी गई थी तथा अपीलार्थी प्रश्नावली के रूप में जानकारी चाह रहे हैं, जिस रूप में यह धारित नही की जाती है और प्रति अपीलार्थी ने भी इसी आधार पर प्रथम अपील निरस्त की है । चूंकि जानकारी देने में अधिक विलंब नही हुआ है, अत: इस प्रकरण में शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति की कोई आवश्यकता प्रतीत नही होती है । जन सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जो निर्णय दिया गया है, वह अपने स्थान पर सही है, उसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है । अत: प्रकरण

में केवल यह निर्देश दिये जाते हैं कि विभाग द्वारा अपीलार्थी को यह स्पष्ट उत्तर दिया जावे कि जिस रूप में वे जानकारी चाहते हैं, उस रूप में जानकारी धारित नही की जाती है।

4/ उपरोक्त निर्देशों के साथ अपील निरस्त की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त